

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 826
दिनांक 29 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर
नकली दवाएँ

†826. श्री टी.एम.सेल्वागणपति:

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औषधि महानियंत्रक ने 49 दवाओं के निर्माताओं को उनके उत्पाद वापस लेने का निर्देश दिया है, क्योंकि उनके नमूने घटिया गुणवत्ता के पाए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सी.डी.एस.सी.ओ. द्वारा चिह्नित चार नकली दवाओं के निर्माताओं के विरुद्ध मामला दर्ज करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बाजार से लिए गए दवाओं के चार नमूने, जो नकली पाए गए थे, अनधिकृत कंपनियों द्वारा निर्मित किए गए थे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): केन्द्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा विभिन्न कंपनियों की औषधियों की सूची जिन्हें निम्न स्तरीय गुणवत्ता/नकली/भ्रामक ब्राड वाली/अपमिश्रित घोषित किया गया है, नियमित रूप से वेबसाइट पर अपलोड की जाती है और यह ड्रग अलर्ट शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की वेबसाइट (www.cdsc.gov.in) पर उपलब्ध है। जब औषधियों की गुणवत्ता अथवा सुरक्षा से संबंधित मामलों की सूचना मिलती है, संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और इसके नियमों के उपबंधों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है जिसमें उपयुक्त न्यायालय में अभियोजन भी शामिल है।
